संख्या-241/2026/381 के-2/22-3-2025-17(121)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 16 जुलाई, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी आशीष उर्फ आशू पुत्र श्री बनारसी दास, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-35546/प्रो0-7/सीमित/एम0-30.11.2023 दिनांक-11.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी आशीष उर्फ आशू पुत्र श्री बनारसी दास, जो-ग्राम रूधेमई, थाना-सिरसागंज, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। दिनांक 05.04.2017 को बंदी ने वादी सनोज कुमार की 04 साल की अबोध बच्ची को बिस्कुट, टॉफी खिलाने के बहाने से मोहल्ले के किसी कच्चे मकान में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची के रोने व चिल्लाने की आवाज सुनकर वादी व उसकी पत्नी मौके पर पहुंचे तो आशीष उन्हें देखकर भाग गया। वादी सनोज कुमार अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गया जहां उसकी बेटी के गुप्तांग में पॉच टॉके आयें। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-2726/2017 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 06.10.2020 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध कारित करने से इंकार नहीं किये जाने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक **05.07**.2023 तक 06 वर्ष, 02 माह, 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष, 10 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 26 वर्ष, 04 माह, 28 दिन है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी आशीष उर्फ आशू पुत्र श्री बनारसी दास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी आशीष उर्फ आशू (बन्दी संख्या-19194) पुत्र श्री बनारसी दास, निवासी जनपद- फिरोजाबाद को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ
4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-**2**, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-241/2026/381 के-2/22-3-2025-17(121)/2024

दिनांक- 16 जुलाई, 2026 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी आशीष उर्फ आशू पुत्र श्री बनारसी दास, जो-ग्राम रूधेमई, थाना-सिरसागंज, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। दिनांक 05.04.2017 को बंदी ने वादी सनोज कुमार की 04 साल की अबोध बच्ची को बिस्कुट, टॉफी खिलाने के बहाने से मोहल्ले के किसी कच्चे मकान में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची के रोने व चिल्लाने की आवाज सुनकर वादी व उसकी पत्नी मौके पर पहुंचे तो आशीष उन्हें देखकर भाग गया। वादी सनोज कुमार अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गया जहां उसकी बेटी के गुप्तांग में पॉच टॉके आयें। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-2726/2017 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 06.10.2020 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध कारित करने से इंकार नहीं किये जाने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक **05.07**.2023 तक 06 वर्ष, 02 माह, 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष, 10 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 26 वर्ष, 04 माह, 28 दिन है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी आशीष उर्फ आशू पुत्र श्री बनारसी दास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in